

**ORAL ANSWERS TO STARRED QUESTIONS AND  
SUPPLEMENTARY QUESTIONS AND ANSWERS  
THEREON**

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES  
**RAJYA SABHA**  
**STARRED QUESTION NO. 76**

TO BE ANSWERED ON TUESDAY, 11<sup>th</sup> FEBRUARY, 2025/MAGHA 22, 1946 (SAKA)

**SAFEGUARDING THE INVESTMENTS OF POLICYHOLDERS**

**\*76 Dr. AJEET MADHAVRAO GOPCHADE:**

*Will the Minister of FINANCE be pleased to state:*

- (a) the action taken by the Ministry in collaboration with all relevant stakeholders to safeguard the investments of policyholders, if a life insurance company faces bankruptcy;
- (b) whether Government has assessed the international regulations concerning this issue, if so, the details thereof;
- (c) whether IRDA is overseeing the activities of domestic life insurance firms, if so, the details thereof; and
- (d) the number of directives issued by IRDA to life insurance companies, the corrective measures taken by the companies in response to these directives over the past three years?

**Answer**

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE  
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)**

(a) to (d) : A Statement is laid on the Table of the House.

\*\*\*\*\*

**Statement as referred to in reply to part (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. \*76 for February 11, 2025/ 22 Magha, 1946 (Saka) regarding “Safeguarding the Investments of Policyholders” by Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade, Hon’ble Members of Parliament**

(a) to (d) : In order to protect the interests of policyholders in instances where a life insurance company is facing financial difficulties or bankruptcy, the Insurance Act 1938 and IRDAI regulations inter alia prescribe separation of policyholders’ and shareholders’ funds of an insurance company so that the assets of policyholders’ funds shall be kept distinct and separate from all other assets of the insurer. Policyholders’ funds are meant exclusively for meeting insurance-related obligations, such as claim payments, surrender values, maturity benefits, and bonuses.

The Insurance Act, 1938 provides that every insurer and reinsurer shall at all times maintain solvency margin higher than the controlled levels of solvency, which currently is 150 per cent of Required Solvency Margin. The investment norms prescribed in Insurance Act, 1938 and IRDAI Regulations govern insurers’ investments with an aim to ensure safety and liquidity to protect policyholders’ interests. The aforesaid prescribe the instruments viz- government securities, infrastructure and social sector, corporate bonds etc. wherein the insurer’s assets may be invested and also the limits of such investments.

Regular risk assessment and compliance audits are also conducted by insurance companies as per IRDAI Regulations. IRDAI also seeks submission of various quarterly and annual returns by insurers periodically. Transparency is ensured through public disclosure provisions mandated by IRDAI. Further, IRDAI regularly monitors insurers through supervisory oversight such as off-site and on-site inspections to check solvency ratios, governance practices, and financial health. During last three years, IRDAI has conducted a total of 154 such onsite inspections. Post-inspection, the report is shared with the insurer and responses of the insurer are examined for necessary regulatory actions.

Regulatory action by IRDAI could be in the form of issuance of advisories, corrective actions, cautions, warnings, penalties, directions, based on the submissions made by the insurer and the underlying severity of the issues observed.

**Details of Regulatory Actions taken by IRDAI in last 3 years**

S. No	Nature of Regulatory Action	No. of Observations		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	Advisory	261	322	577
2	Direction	100	42	16
3	Caution	139	142	260
4	Warning	6	0	0
5	Penalty	18	0	3
<b>Total</b>		<b>524</b>	<b>506</b>	<b>856</b>

If IRDAI has reasons to believe that an insurer carrying on life insurance business is acting in a manner likely to be prejudicial to the interests of policyholders, it may, after giving such opportunity to the insurer to be heard, appoint an Administrator to manage the affairs of the insurer under the direction and control of the Authority. IRDAI may further transfer the company’s insurance portfolio to another insurer so as to ensure that policyholders continue to receive services. The regulator also has the power to direct capital infusion, restrict asset disposal and take other appropriate measures to safeguard policyholders.

Further, India, as a member of the Financial Stability Board (FSB) and the G20, is committed to adopting international best practices in a phased manner while taking in to consideration the local conditions. IRDAI actively engages with international regulatory bodies such as the International Association of Insurance Supervisors (IAIS) and participates in standard-setting discussions and peer reviews.

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या \*76

जिसका उत्तर मंगलवार, 11 फरवरी, 2025/22 माघ, 1946 (शक) को दिया गया

बीमा पालिसी धारकों के निवेश की सुरक्षा करना

\*76. डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) किसी जीवन बीमा कंपनी के दिवालिया हो जाने की स्थिति में पालिसीधारकों के निवेश की सुरक्षा के लिए मंत्रालय द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के साथ मिलकर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ख) क्या सरकार ने इस मुद्दे से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का आकलन किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) घरेलू जीवन बीमा फर्मों के कार्यकलापों की निगरानी कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान आईआरडीए द्वारा जीवन बीमा कंपनियों को कितने निर्देश जारी किए गए हैं, इन निर्देशों के जवाब में कंपनियों द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"बीमा पालिसी धारकों के निवेश की सुरक्षा करना" के संबंध में डॉ. अजित माधवराव गोपछड़े द्वारा पूछे गए दिनांक 11.2.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*76 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): क से घ: उन मामलों में जिनमें जीवन बीमा कंपनी वित्तीय कठिनाइयों अथवा दिवालियापन का सामना कर रही हों, उनमें पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 और इरडाई विनियम में अन्य बातों के साथ-साथ बीमा कंपनी के पॉलिसीधारक और शेयरधारक निधियों को अलग-अलग निर्धारित किया गया है ताकि पॉलिसीधारक की निधियों की आस्तियों को अलग रखा जा सके तथा उन्हें बीमा कंपनी की अन्य सभी आस्तियों से पृथक रखा जा सके। पॉलिसीधारक निधि केवल बीमा संबंधी दायित्वों जैसे दावे का भुगतान, अभ्यर्पण मूल्य, परिपक्वता लाभ तथा बोनस आदि को पूरा करने के लिए होती है।

बीमा अधिनियम, 1938 में यह उपबंध किया गया है कि प्रत्येक बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता हमेशा शोधनक्षमता के नियंत्रित स्तर के उच्चतर शोधनक्षमता मार्जिन को बनाये रखेंगे, जो वर्तमान में अपेक्षित शोधनक्षमता मार्जिन का 150 प्रतिशत है। बीमा अधिनियम, 1938 में निवेश मानदण्डों को निर्धारित किया गया है तथा इरडाई विनियम से बीमाकर्ता के निवेश अभिशासित होते हैं जिसका लक्ष्य पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा तथा उसके नकदीकरण को सुनिश्चित करना है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियों, अवसंरचना तथा सामाजिक क्षेत्र, कारपोरेट बाण्ड आदि जैसे लिखितों को निर्धारित किया गया है जिनमें बीमाकर्ताओं की आस्तियों का निवेश किया जा सकता है तथा इसमें ऐसे निवेश की सीमा भी निर्धारित है।

इरडाई के विनियम के अनुसार बीमा कंपनियों द्वारा नियमित जोखिम आकलन और लेखापरीक्षा अनुपालन भी किए जाते हैं इरडाई यह भी अपेक्षा करता है कि बीमाकर्ताओं द्वारा विभिन्न तिमाही तथा वार्षिक विवरणियां भी समय-समय पर प्रस्तुत की जाएं। इरडाई द्वारा अधिदेशित सार्वजनिक प्रकटीकरण उपबंधों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा, इरडाई द्वारा पर्यवेक्षीय अवलोकन जैसे शोधनक्षमता अनुपात, अभिशासन पद्धतियों तथा वित्तीय स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ऑफसाइट तथा ऑनसाइट निरीक्षण करके बीमाकर्ता की नियमित निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान इरडाई ने ऐसे केवल 154 ऑनसाइट निरीक्षण किए हैं। निरीक्षण के पश्चात् बीमाकर्ता के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है और अपेक्षित विनियामकीय कार्रवाई के लिए बीमाकर्ता के जवाब की जांच की जाती है।

इरडाई बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर तथा मामलों के संबंध में अंतर्निहित गंभीरता को ध्यान में रखते हुए विनियामकीय कार्रवाई करता है, बीमाकर्ता को सलाह देता है, सुधारात्मक कार्रवाई करता है, सचेत करता है, चेतावनी जारी करता है, उन पर जुर्माना लगाता है, उन्हें निदेश देता है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान इरडाई द्वारा की गई विनियामकीय कार्रवाई का ब्यौरा

क्रम सं.	विनियामकीय कार्रवाई का स्वरूप	अभ्युक्तियों की संख्या		
		2021-22	2022-23	2023-24
1	परामर्शी	261	322	577
2	निदेश	100	42	16
3	सचेत करना	139	142	260
4	चेतावनी	6	0	0
5	जुर्माना	18	0	3
<b>कुल</b>		<b>524</b>	<b>506</b>	<b>856</b>

यदि इरडाई को यह मानने का कारण हो कि बीमाकर्ता जीवन बीमा व्यवसाय को पॉलिसीधारकों के हितों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर कर रहा है, तो वह बीमाकर्ता को सुनवाई का अवसर देकर प्राधिकरण के निदेश तथा नियंत्रण के अंतर्गत बीमाकर्ता के कार्यों के प्रबंधन के लिए प्रशासक को नियुक्त करता है। इसके अलावा, इरडाई कंपनी के बीमा पोर्टफोलियो को दूसरे बीमाकर्ता को अंतरित कर सकता है ताकि पॉलिसीधारक को सेवाएं प्राप्त होना सुनिश्चित हो सके। विनियामक को पूंजी निवेश के लिए निदेश देने, आस्तियों को बेचने पर प्रतिबंध लगाने तथा पॉलिसीधारकों के हितों की रक्षा के लिए अन्य समुचित उपाय करने का भी अधिकार प्राप्त है।

इसके अलावा, फाइनेंशियल -स्टैबिलिटी बोर्ड (एफएसबी) तथा जी-20 का सदस्य होने के नाते भारत स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध रूप से सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इरडाई अंतर्राष्ट्रीय विनियामकीय निकायों जैसे इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंश्योरेंस सुपरवाइजर्स (आईएआईएस) के निरंतर सहयोग से कार्य करता है तथा मानक निर्धारित करने के विचार-विमर्श तथा समकक्ष संस्थाओं की समीक्षाओं में भाग लेता है।

\*\*\*\*\*

**डा. अजित माधवराव गोपछडे:** सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी और वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को देश के लिए उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

बीमा क्षेत्र में सुधार के उद्देश्य से एफडीआई सीमा को 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इससे बीमा क्षेत्र में अधिक निवेश आकर्षित होगा। मेरा प्रश्न क्रमांक एक यह है कि यदि कोई बीमा कंपनी वित्तीय संकट में होती है, तो बीमा धारकों के धन की सुरक्षा के लिए कोई गारंटी योजना या बैंक में लागू डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम जैसी व्यवस्था बनाई जा सकती है? यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो भारत सरकार बीमा कंपनियों के संकट के समय बीमा धारकों के धन की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानून में आवश्यक सुधार करने पर क्या विचार कर रही है?

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री जी।

**श्री पंकज चौधरी:** माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा हेतु हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और इसके लिए पर्याप्त नियम और तंत्र बनाए गए हैं। यदि कोई बीमाकर्ता कंपनी वित्तीय संकट या दिवालिया का सामना करती है, तो इरडा द्वारा बीमा धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, बीमा अधिनियम के तहत एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही कंपनियों का बीमा पोर्टफोलियो दूसरी कंपनी, जो वित्तीय रूप से स्थिर और मजबूत हो, को ट्रांसफर किया जाता है। अधिग्रहण करने वाली बीमाकर्ता कंपनी पॉलिसी धारकों की सेवाओं को जारी रखने के लिए उत्तरदायी हो जाती है और उसके माध्यम से दावे और भुगतान किए जाते हैं। इन्हीं व्यवस्थाओं के माध्यम से, बीमा धारकों के हितों की रक्षा सरकार और इरडा द्वारा सुनिश्चित की जाती है। मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इन सुरक्षा तंत्रों के परिणामस्वरूप ही है कि भारत में आज तक बीमा कंपनी के वित्तीय संकट की वजह से पॉलिसी धारकों का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.2 - Dr. Ajeet Madhavrao Gopchade.

**डा. अजित माधवराव गोपछडे:** सभापति महोदय, जब हमारे भारत में गरीब किसान भाई-बहन और ग्रामीणों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवारों को बीमा राशि प्राप्त करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस संदर्भ में मानवीय संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार कोई योजना बना रही है? हमारे गरीब भाई-बहन और किसान को बीमा धनराशि कंपनियों द्वारा तय समय-सीमा में प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार के सामने क्या योजना है?

**श्री सभापति:** माननीय मंत्री जी।

**श्री पंकज चौधरी:** सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि देश के बीमा धारकों को बीमा राशि का भुगतान इरडा की गाइडलाइन के अनुसार बीमा कंपनी करती है। अगर ग्राहक को शिकायत है, तो इसके लिए सुदृढ़ शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध है, जिसमें बीमा भरोसा पोर्टल है, पीएमओ लोक शिकायत पोर्टल है, सीपीग्राम है, इरडा की शिकायत संबंधित ई-मेल की सुविधा है, इरडा का टोल फ्री नंबर भी है। इसके साथ ही, ग्राहक बीमा लोकपाल में भी शिकायत कर सकता है। लोकपाल द्वारा अवार्ड की गई धनराशि 30 दिन में भुगतान न होने पर बीमा कंपनी पर 5,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना भी लगाया जाता है। इन सभी शिकायतों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी होती है। इस प्रकार से, बीमा धारकों की शिकायतों को दर्ज करने और उनके निवारण हेतु पर्याप्त तंत्र मौजूद है।

MR. CHAIRMAN: Supplementary No.3; Shri K.R.N. Rajeshkumar.

SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR: Is the Ministry aware that the IRDAI (Insurance Regulatory and Development Authority of India) changed the rule, whereby one insurance company agent can also work in another insurance company? In this circumstance, he can also take the business to another company. The LIC is the most affected company due to this activity. Do you not think that the LIC will be affected most by this? I want to know the views of this Government.

**श्री पंकज चौधरी:** माननीय सभापति जी, जहां तक भारत में बीमा क्षेत्र का विकास एवं रेगुलेटरी का सवाल है, इसके लिए आईआरडीएआई एक नियामक संस्थान है, जो कि बीमा संबंधी सभी कार्यकलापों की देखरेख करता है। अभी तक ऐसा कोई बदलाव आईआरडीएआई की योजना में नहीं हुआ है।

MR. CHAIRMAN: Fourth supplementary; Shri Mithlesh Kumar.

**श्री मिथलेश कुमार:** माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सदन में प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधान मंत्री एवं माननीय वित्त मंत्री महोदया को एक अत्यंत उत्कृष्ट बजट प्रस्तुत करने के लिए बहुत-बहुत आभार। भारत एक विशाल जनसंख्या वाला देश है और सभी तक बीमा कंपनियों का पहुंच पाना मुश्किल है।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सरकार की भविष्य में आम जनता तक सुरक्षा कवच पहुंचाने की क्या पॉलिसी है?

**श्री पंकज चौधरी:** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि 2014 से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा वित्तीय समावेशन पर जो अभियान चलाया गया है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 'Securing the Unsecured' है। हमारे ऐसे नागरिक जिनको कभी बीमा की

सुविधा उपलब्ध नहीं होती थी, उनको बीमा सुरक्षा देने के लिए हमारी सरकार तमाम योजनाएं चला रही है - चाहे वह पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हो, चाहे वह पीएम सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे पांच लाख तक का स्वास्थ्य कवर देने का काम हो। अभी हाल में ही सरकार ने फैसला किया कि 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को भी पांच लाख का health insurance cover दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ देखें कि जब जनधन खाता खुलता है, तो उसमें रुपये कार्ड दिया जाता है, उसमें भी दो लाख तक का दुर्घटना बीमा कवर दिया जाता है। इस तरह हमारी सरकार सभी वंचितों की चिंता कर रही है, जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था।

MR. CHAIRMAN: Fifth supplementary; Shrimati Mausam B Noor.

SHRIMATI MAUSAM B NOOR: Sir, in the proposed Union Budget, 2025-26, the Government has announced a plan to allow 100 per cent Foreign Director Investment in the insurance sector. Currently, the insurance sector is regulated under the IRDAI and governed under the IRDAI (Protection of Policyholders' Interests) Regulations, 2017. I would like to ask the hon. Minister: Will any special regulations be made by the Ministry with regard to the minimum reserve requirements or will any provisions be made for appropriation of overseas funds of foreign insurance companies in the event that they collapse and lose the money of Indian policyholders?

**श्री पंकज चौधरी:** सभापति महोदय, सरकार ने नए बजट में जो 100 परसेंट एफडीआई की अनुमति दी है, उसमें विदेशी बीमा कंपनी द्वारा देश की प्रीमियम धनराशि को विदेशी बाजारों में नहीं लगाया जाता है, उसे भारत में ही लगाया जाता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार का प्रयास है कि देश में अधिक से अधिक लोगों को कम से कम प्रीमियम में बीमा सुविधा प्राप्त हो सके। इसके अलावा अधिक कंपनियों के आने से बीमा क्षेत्र में अधिक प्रतिस्पर्धा होगी, जिसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा। जहां तक बीमा क्षेत्र में 100 परसेंट एफडीआई की बात है, इस संबंध में मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूँ कि बीमा कंपनी की जो भी राशि कलेक्ट होगी, उसे भारत में ही लगाया जाएगा। यह सभी आईआरडीएआई की देखरेख में होगा।

MR. CHAIRMAN: Now, Question No. 77; Shrimati Mamata Mohanta - not present. Any supplementaries?